

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

संदर्भ : सुरक्षा / 57/2017/307 / 2296

मार्च 13, 2019

विषय : वाहन प्रवेश पत्र : कॉलोनी क्षेत्र

देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि कॉलोनी (राराप्रौके) के अंदर और बाहर रहने वाले कर्मचारियों को वाहन प्रवेश पत्र (दो पहिया एवं चार पहिया) जारी किए जाएं। वाहन प्रवेश पत्र के अलावा, प्रत्येक वाहन के लिए एक स्टीकर भी प्रदान किया जाएगा जिसे कॉलोनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान आसान करने हेतु वाहन पर चिपकाया जाना है। वाहन प्रवेश पत्र वाहन में उपलब्ध होना चाहिए और कॉलोनी मुख्य द्वार पर मांगे जाने पर सुरक्षाकर्मियों को दिखाना होगा। हालाँकि, तकनीकी क्षेत्र के लिए के.ओ.सु.ब., राराप्रौके द्वारा जारी किए गए वाहन परमिट / टैग को उपरोक्त वाहन प्रवेश पत्र से छूट दी गई है।

2. वाहन पास के लिए मापदंड निम्नानुसार होंगे:

	प्रति व्यक्ति प्रवेश पत्र		वैधता
	चार पहिया	दो पहिया	जारी करने की तारीख से
कर्मचारी	02	02	पांच (5) वर्ष
पूर्व कर्मचारी	01	01	पांच (5) वर्ष
पुनः जारी करना (गुम होना, आदि पर)	गुम होना/ खराब होने पर	फिर से जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखित आवेदन + रुपये 50/- की राशि जमा करनी होगी।	
वाहन प्रवेश पत्र के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	क. स्वयं द्वारा आवेदन (प्रारूप के अनुसार) ख. वाहन पंजीकरण की प्रति ग. CHSS कार्ड की प्रतिलिपि (पूर्व कर्मचारी के लिए) घ. दो रंगीन फोटोग्राफ 3.5सें.मी.(चौ.) x4.5सें.मी.(लं.)		

3. वाहन प्रवेश पत्र के लिए आवेदन पत्र संलग्न है। कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित आवेदन प्रारूप में वाहन प्रवेश पत्र / स्टीकर के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन को कॉलोनी मेन गेट पर सुरक्षा अधिकारी / सहायक सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करें। स्टीकर कॉलोनी गेट सुरक्षा अनुभाग से प्राप्त कर चिपकाया जा सकता है।

4. वाहन प्रवेश पत्र और स्टीकर जारी करने का कार्य 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होगा।

शैलजा प्रकाशम
(शैलजा प्रकाशम)
13/3/2019

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वितरण : मेल आल द्वारा

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, राराप्रौके
2. अध्यक्ष, सुरक्षा समिति, राराप्रौके
3. उप लेखा नियंत्रक, लेखा अनुभाग,

सूचनार्थ

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Government of India
Department of Atomic Energy
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

Ref : SEC/57/2017/307/2296

March 13, 2019

Sub: Vehicle Pass: Colony Area


In view of the present security scenario prevailing in the country, it has been decided that vehicle passes (Two and Four Wheelers) shall be issued to the employees residing inside/ outside the colony and Ex-employees of RRCAT. In addition to the vehicle pass, sticker for each vehicle will also be provided which is to be pasted on the vehicle for easy identification of vehicles entering colony area. The vehicle pass should be available in the vehicle and must be shown to the security personnel if asked for at colony main gate. However, Vehicle permits/tag issued by CISF Unit, RRCAT for Technical area is exempted from the above mentioned vehicle passes.

2. The criteria for vehicle pass shall be as follow :

	Pass per person		Validity
	Four wheeler	Two Wheeler	From the date of issuance
Employees	02	02	Five (5) years
Ex- Employees	01	01	Five (5) years
Re-issue (on loss, etc)	On Loss Mutilations	On written application by individual + an amount of Rs.50/- for reissue.	
Documents to be attached for vehicle pass	a. Application by individual (as per format) b. Copy of vehicle registration c. Copy of CHSS card (for ex- employee) d. Two color photograph 3.5cm(w)x4.5cm (l)		

3. The application form for the vehicle pass is attached. Employees and Ex-employees are requested to apply for the vehicle pass/sticker in the prescribed application format along with requisite documents and submit it to Security Officer/ Assistant Security Officer at Colony Main Gate. The sticker can be obtained and pasted at Colony Gate Security

4. The issuance of vehicle pass and stickers will commence from 1st April, 2019.


(Shailaja Prakasam)
Chief Administrative Officer

Distribution

Mail All

CC: 1. Director, RRCAT
2. Chairman, Security Committee, RRCAT
3. Dy. Controller of Accounts, RRCAT

} for information please.
} for information and n/a please.